shops or similar projects etc. is available in the Pink Book which is already supplied to the Honourable Members alongwith the Railway Budget documents for 1978-79.

**Non-Payment of Wages to Shri M. Das and B. B. Dutta**

9655. SHRI SHYAMA PRASANNA BHATTACHARYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any representation has been received by the Government about non-payment of wages to certain employees of Esplanade Mansion Booking Office, S. E. Railway though it was ordered by the Railway Board three years back; and

(b) if so, what action has been taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). So far as the two employees referred to are concerned, Shri M. Das has already been paid his arrears of pay and allowances. Steps have also been taken by the Railway Administration to arrange payment of wages due to Shri B. B. Dutta expeditiously.

**मैसर्स ए० एच० व्हीलर के मालिकों द्वारा कम्पनी की धनराशि का वितरण**

9656. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० एच० व्हीलर के मालिक अपने सभी सम्बन्धियों को बड़े वेतनों पर निदेशक के रूप में और अन्य पदों पर नियुक्त करके अपने परिवार में ही कम्पनी की वास्तविक आय का वितरण करते है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) :** (क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड मिलीजुली धारित प्राइवेट कम्पनी है। 31-5-76 से पूर्व, कम्पनी के 8 निदेशकों में से 7 ने कमीशन प्राप्त किया था और इनमें से कुछ निदेशकों ने वेतन भी लिया था। 31-5-76 को बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था सभी वेतन भोगी निदेशकों ने बोर्ड से त्याग पत्र दे दिया। फिर भी वे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य वित्तीय नियंत्रक, मुख्य कार्यकारियों आदि के पदों के अन्तर्गत अधिकारियों के रूप में वेतन लेते रहे थे।

(ख) इसकी परीक्षा की जा रही है कि क्या कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई उल्लंघन स्थापित होता है तो जो कार्यवाही उचित होगी, अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत की जाएगी।

**ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक कारखानों की स्थापना करना**

9657. **श्री खड़सेन चौधरी :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे छोटे उर्वरक कारखानों की स्थापना करने का है जो इन क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन कर सकें और इन्हें किसानों को उपलब्ध करा सकें।

**पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :** जी, नहीं। एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यह निर्णय किया है कि चूंकि दानेदार उर्वरक मिश्रण के लिए वर्तमान और कार्यान्वयनाधीन स्वीकृत क्षमता देश की अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं है।